न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 100 / 2022

प्रार्थी :–

हनुमानराम वल्द लाधाराम कौम जाट, निवासी–गंगाणियों की ढ़ाणी कालेवा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. चीमाराम पुत्र नत्थाराम
2. रूपाराम पुत्र नत्थाराम
3. केसाराम पुत्र नत्थाराम
4. पोलाराम पुत्र नत्थाराम
5. राहींगाराम पुत्र नत्थाराम सभी जातियान जाट, निवासी साजियाली मूलराज द्वितीय तह0 पचपदरा जिला–बाडमेर।
6. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :– 1. श्री रूगाराम कडवासरा, वकील प्रार्थी

2. विप्रार्थीगण :– एकपक्षीय

आदेश दिनांक :– 05.07.2023

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 428 रकबा 77.02 बीघा व खसरा नं. 853/429 रकबा 9.11 बीघा सरहद मौजा गंगाणियों की ढ़ाणी, पटवार हल्का कालेवा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की भूमि में आवागमन एवं कृषि उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हेतु तक विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 199 रकबा 41.18 बीघा व खसरा संख्या 203 रकबा 5.12 बीघा भूमि में से नजरी नक्शा में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये बरंग लाल मार्क ए से बी विप्रार्थीगण खसरा संख्या 199 ग्राम साजियाली मूलराज द्वितीय, पटवार हल्का कालेवा, भू.अ.नि. पटोदी, तहसील पचपदरा, मे से आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु 25 फिट रास्ता घोषित करवाने का आवेदन प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस विप्रार्थीगण को तलब किया गया, बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहनें पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी । तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोट पत्र क्रमांक /राजस्व/ 2023/492 दिनांक 30.05.2023 को प्राप्त हुई । मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा गंगाणियो की ढाणी के खसरा संख्या 428 व 853/429 प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि हैं जिसमे आवागमन हेतु ग्राम साजियाली मूलराज द्वितीय पटवार मण्डल साजियाली रूपजी राजा बैरी के खसरा संख्या 199 रकबा 41. 18 बीघा किस्म बा. सोयम में से लम्बाई 198 फीट व चौडाई 26 फीट क्षेत्रफल 5148 वर्ग फीट अर्थात 0.06 बीघा रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावति की गई है, जिसकी वर्तमान डी.एल.सी दर 33120/- प्रति बीघा की दर से नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रूपये 19872/- रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष या सम्बन्धित खातेदारो के खाते मे ज[illegible] स्वीकार किया गया । उक्त रास्ता ही उपयुक्त एवं निकटतम है । [illegible] प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी की नही है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:07 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी । दौराने बहस वकील प्रार्थी

(कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा — seal)

(signature)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा गंगाणियो की ढाणी, पटवार हल्का कालेवा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की भूमि में खसरा नम्बर 428 रकबा 77–02 बीघा व खसरा संख्या 853/429 रकबा 9.11 बीघा मे आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु तक विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 199 रकबा 41.18 बीघा भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये मार्क बरंग लाल से मार्क ए से बी मे 25 फिट चौडा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं । प्रार्थीगण रेकर्डड खातेदार है मौका फर्द अनुसार विप्रार्थीगण को कोई एतराज प्रतीत नहीं होता है । अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

हमने विद्ववान प्रार्थीगण के अधिवक्ता बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 19.9.2022 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया । प्रार्थीगण द्वारा मौजा गंगाणियो की ढाणी, पटवार हल्का कालेवा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की भूमि में खसरा नम्बर 428 रकबा 77–02 बीघा व खसरा संख्या 853/429 रकबा 9.11 बीघा का खातेदार है जो 251 आर.टी.ए एक्ट के तहत कृषि कार्य हेतु आवागमन हेतु रास्ता पाने का अधिकारी है। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित [illegible] भी विप्रार्थीगण की और से मौन स्वीकृति प्रकट होना प्रतीत होता है [illegible] फर्द रिपोर्ट अनुसार भी विप्रार्थीगण को कोई एतराज होना नही बताया गया है । ऐसी सूरत मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौजा गंगाणियो की ढ़ाणी, पटवार हल्का कालेवा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की भूमि खसरा नम्बर 428 रकबा 77–02 बीघा व खसरा संख्या 853/429 रकबा 9.11 बीघा मे आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 41.18 बीघा किस्म बा.सो.सरहद मौजा साजियाली मूलराज द्वितीय, पटवार हल्का कालेवा में से लम्बाई 198 फ़ीट, चौडाई 26 फीट क्षेत्रफल 5148 वर्ग फीट अर्थात 0.06 बीघा भूमि रास्ता स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 33120/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित लम्बाई 198 फीट, चौडाई 26 फीट क्षेत्रफल 5148 वर्ग फीट अर्थात 0.06 बीघा प्रभावित भूमि की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रूपये 19872/– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचंपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर ही तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्र कमांक /राजस्व/ 2023/492 दिनांक 30.05.2023 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 19.9.2022 व नक्शा परिशिष्ट ''ब'' इस आदेश का अभिन्न भाग होगा।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:07 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा